झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक 08/11/2017

16/नि०–07/2017 6004 / झारखण्ड पुलिस अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक, वितंतु अवर निरीक्षक एवं आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावली (अधिसूचना संख्या–6350, दिनांक–18.10.2010, संशोधन अधिसूचना संख्या–1641, दिनांक –17.03.2016, अधिसूचना संख्या–3453, दिनांक–14.06.2016 ,अधिसूचना संख्या–1642, दिनांक–17.03.2016, अधिसूचना संख्या–6992, दिनांक–20.10.2014, अधिसूचना संख्या–3875, दिनांक–14.07.2016 एव अधिसूचना संख्या–1262, दिनांक–08.03.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–3796, दिनांक –12.07.2017) गठित है। राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरांत इन नियमावलियों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:–

1. विभागीय अधिसूचना संख्या–1642, दिनांक–17.03.2016, अधिसूचना संख्या–1262, दिनांक–08.03.2017 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या–3796, दिनांक–12.07.2017 में प्रावधानित मेधा सूची के गठन में केन्द्र सरकार या झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा (Degree or Post Graduate Diploma) की उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राओं को पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति में निम्न प्रकार 05–15 अंक तक की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी :–

Class obtained in Degree or Post Graduate Diploma of the Raksha Shakti University	Additional marks to be given
Distinction	15
First Class	12
Second Class	09
Pass Class	05

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–6992, दिनांक–20.10.2014, अधिसूचना संख्या–3875, दिनांक–14.07.2016, अधिसूचना संख्या–3453, दिनांक–14.06.2016 ,अधिसूचना संख्या–6350, दिनांक–18.10.2010, संशोधन अधिसूचना संख्या–1641, दिनांक–17.03.2016 (आरक्षी, विशेष शाखा) एवं अधिसूचना संख्या–3796, दिनांक– 12.07.2017 में प्रावधानित मेधा सूची के गठन में केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा (Degree or Diploma) की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आरक्षी के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार 04–10 अंक तक की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी:–

Class obtained in Degree or Diploma of the Raksha Shakti University	Additional marks to be given
Distinction	10
First Class	08
Second Class	06
Pass Class	04

उपर्युक्त कंडिका–01 एवं 02 में उल्लेखित अधिमानता झारखण्ड राज्य के उन्हीं स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी, जो सुसंगत लिखित परीक्षाओं में निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त किये हों तथा केन्द्र सरकार या झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हों।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या–1169, दिनांक–27.02.2017 की कंडिका–11 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–6992, दिनांक–20.10.2014 में मेधा सूची के गठन में सहायक पुलिस को निम्न प्रकार अधिमानता (weightage) दी जायेगी:–

"पुलिस की नियुक्ति में सहायक पुलिस के पद पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 2% अंक तथा कुल सेवा अवधि के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त अंक की अधिमानता देय होगी। यह अधिमानता संबंधित जिले के नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर दी जायेगी।"

यह अधिमानता उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रदान की जायेगी, जो सुसंगत लिखित परीक्षाओं में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त किये हों।

4. राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के आरक्षी की नियुक्ति, झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (अधिसूचना संख्या–6992, दिनांक–20.10.2014) तथा इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों एवं उपर्युक्त कंडिका–1,2 में वर्णित प्रावधानों के तहत की जायेगी।

5. अधिसूचना संख्या–6992, दिनांक–20.10.2014, अधिसूचना संख्या–1642, दिनांक–17.03.2016, अधिसूचना संख्या–1262, दिनांक–08.03.2017, अधिसूचना संख्या–3875, दिनांक–14.07.2016 एवं अधिसूचना संख्या–1641, दिनांक–17.03.2016 एवं अधिसूचना संख्या–3796, दिनांक–12.07.2017 में प्रावधानित चिकित्सीय जाँच परीक्षा में लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए "Apex Medical Board" का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

(i) जिन अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा–द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा करायी जाती है, ऐसे मामलों में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से "Apex Medical Board" का गठन किया जायेगा।

(ii) जिन अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जाती है, ऐसे मामलों में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में "Apex Medical Board" गठित होगा।

चिकित्सीय जाँच के संबंध में "Apex Medical Board" का निर्णय अंतिम होगा।

6. उपरोक्त सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित होंगे।

7. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/11/17

(तदाशा मिश्र)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–16/नि०–07/2017–6004 राँची, दिनांक–08/11/2017 ई०।

प्रतिलिपि– 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

08/11/17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–16/नि०–07/2017–6004 राँची, दिनांक–08/11/2017 ई०।

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/ अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/प्रधान सचिव के वरीय आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।